बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
–:: अधिसूचना ::–

सं० सं०–17/विविध 01–222/2025–35(17) पटना, दिनांक :–09/01/2026

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग/बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के निम्नांकित चिकित्सक शिक्षकों/विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए अधिसूचना निर्गत की तिथि से अगले आदेश तक के लिए स्तम्भ–04 में अंकित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के प्राचार्य/अधीक्षक/उपाधीक्षक के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है:–

क्र0 सं0	नाम	पद/वर्तमान पदस्थापन संस्थान का नाम	पद/नव पदस्थापन संस्थान का नाम
1	2	3	4
1	डा0 सुधीर कुमार कर्ण	प्राध्यापक, एनाटॉमी विभाग दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा।	प्राध्यापक, एनाटॉमी विभाग **अतिरिक्त प्रभार**–प्राचार्य, श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय, समस्तीपुर।
2	डा0 पूनम कुमारी	प्राध्यापक, पैथोलॉजी विभाग दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा।	प्राध्यापक, पैथोलॉजी विभाग **अतिरिक्त प्रभार**–अधीक्षक, श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, समस्तीपुर।
3	डा0 राणा विश्व विजय सिंह	विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (मूर्च्छक)–सह–प्रभारी उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, रोसड़ा, समस्तीपुर।	उपाधीक्षक, श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, समस्तीपुर।

2. अधिसूचित प्राचार्य/अधीक्षक को वित्त विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या–9262/वि0, दिनांक–01.10.2011 के द्वारा अधिसूचित बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम–84 के अंतर्गत संबंधित संस्थान के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की शक्ति प्रदान की जाती है।

3. संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में प्राचार्य/अधीक्षक के पद पर पूर्व से कार्यरत चिकित्सकों को निदेशित किया जाता है कि वे संबंधित को प्रभार सौंपना सुनिश्चित करेंगे।

4. प्राचार्य/अधीक्षक के पद पर अधिसूचित चिकित्सक शिक्षक संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष के प्रभार में नहीं रहेंगे।

5. एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत अधिसूचना/आदेश यदि कोई हो तो, इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

6. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

09/01/2026

सं० सं०– 17/विविध 01–157/2025– 35(17) पटना, दिनांक :– 09/01/2026

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– संबंधित जिला पदाधिकारी एवं सिविल सर्जन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित चिकित्सक शिक्षकों/विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, (प्रभारी प्रशाखा–17)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, 02, 03, 08, 09, एवं 18A स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Kumar 09/01/2026

विशेष कार्य पदाधिकारी।